ग्राम पंचायत जाँगल, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जाँगल, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत जाँगल में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	कु0 कुसुम लता	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जसबन्त सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत जाँगल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	21.04
2	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.11
3	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.77

4	9	औपारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना ।	1.72
5	11	प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित अभिलेख के आंकड़ों में भारी अन्तर पाया जाना	6.68

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, लम्बित पैरों बारे पंचायत द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2018 से 31.03.2019

क्र0 सं0	**पैरा संख्या**	**निर्णीत/अनिर्णीत ।**
1	3	निर्णीत । अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त
2	4	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
3	5(क)	अनिर्णीत ।
4	5(ख)	अनिर्णीत ।
5	6	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
6	7	अनिर्णीत ।
7	8	अनिर्णीत ।
8	9	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ।
9	10	अनिर्णीत ।
10	11	अनिर्णीत ।
11	12	अनिर्णीत ।
12	13	अनिर्णीत ।
13	14	अनिर्णीत ।
14	15	अनिर्णीत ।

15	16	अनिर्णीत ।
16	17	अनिर्णीत ।
17	18	अनिर्णीत ।
18	19	अनिर्णीत
19	20	अनिर्णीत ।
20	21	अनिर्णीत ।
21	22	अनिर्णीत ।
22	23	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्राारूपित ।
23	24	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्राारूपित ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जाँगल, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा व श्री राहुल सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 31.10..2023 से 04.11.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	03 / 2022	03 / 2022
2022–23	03 / 2023	05 / 2022

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत जाँगल, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04. 2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 490 दिनांक 04.10.2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ड्रॉफ्ट संख्या 467718 दिनांक 16.11..2023 (के0सी0सी0 बैंक) द्वारा हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत जाँगल, विकास खण्ड लम्बागाँव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत जाँगल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	701610	49335	45121	796066	69018	727048
2022–23	727048	1203243	71108	2001399	174738	1826661

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत जाँगल के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	2871521.48	3044160.50	77716.00	5993397.98	3576580.50	2416817.48
2022–23	2416817.48	5041396.00	31686.00	7489899.48	5385843.50	2104055.98

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SBM,SJVN, ZP,SDP,VMJS, MPLAD, RGSA

A/c No. 20019005170	KCCB Alampur	1658513
A/c No. 50061264563	KCCB Alampur	279470
A/c No. 20019040716	KCCB Alampur	3396
A/c No.50061264686	KCCB Alampur	366551
A/C No. 50061264370	KCCB Alampur	381496
A/C No. 50060064620	KCCB Alampur	31226
A/c No. 50062108885	KCCB Alampur	28937
A/c No 5061264835	KCCB Alampur	485
A/c No 2646000100184802	PNB	66.98
A/c No 50100349359226	HDFC	1180308
cash in hand		268
	Total	3930717
Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		1826661
Cash Book Balance on 31.03.2022		7303
Cash Book Balance on 31.03.2022		138852
Cash Book Balance on 31.03.2022		292559
Cash Book Balance on 31.03.2022		551.98
Cash Book Balance on 31.03.2022		1180308
Cash Book Balance on 31.03.2022		2567
Cash Book Balance on 31.03.2022		162047
Cash Book Balance on 31.03.2022		89200
Cash Book Balance on 31.03.2022		212715
Cash Book Balance on 31.03.2022		17953
	Total	3930717
	diffrence	0

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख–रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेर्शों के अनुसार नहीं गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 491 दिनांक 04.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे.2023/84 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः उक्त नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4 में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में दिनांक 31.03.2023 को ₹18,26,661/– की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 492 दिनांक 04.11.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्याः जीपीजे–2023/84 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खातों की अतिरिक्त छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि का सावधि में निवेश करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित रजिस्टर का रख रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6. अनुदान ₹21.04 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार अनुदान राशि को फंडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹21,04,056 / – की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.11 लाख की वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

(1) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹800 / – की कम वसूली करने बारेः–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 / – (बी0पी0एल0 परिवार ₹25 / –) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 / –(बी0पी0एल0 परिवार ₹50 / –) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2021–22 में निम्न विवरणानुसार ₹800/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल किये गये थेः–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि	वास्तविक वसूली गई राशि	कम वसूल की गई
1	4	सौरभ कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार	30.04.21	05.06.21	400	200	200
2	5	अंकिता पुत्री श्री विनय खरोटिया	30.04.21	05.06.21	400	200	200
3	7	परमजीत सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह	25.04.21	08.07.21	400	200	200
4	8	सुरभि चौधरी पुत्री श्री रमेश चन्द	04.05.21	13.07.21	400	200	200
वसूली योग्य कुल राशि					**₹1600**	**800**	**800**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 496 दिनांक 04.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे–2023/84 दिनांक 16.11.23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस अवधि में लॉक डाउन था जिस बजह से लोगों से विलम्ब शुल्क नहीं लिया गया है । उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। यदि सरकार द्वारा कोई ऐसे दिशा–निर्देश या अधिसूचना जारी की गई है जिससे कि विलम्ब शुल्क को नहीं लिया जाना है, उससे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा कम वसूल की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सभा निधि में जमा करवाया जाये तथा तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

(2) मोबाईल टॉवर शुल्क के रूप में ₹0.10 लाख की वसूली न करने बारे :–

प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev(IT)2005(Misc.)96 दिनांक 21.06.2017 अनुसार ग्राम पंचायत को स्थापना शुल्क व नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टॉवर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश मोबाईल टॉवर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2022 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । अतः नियमों के अनुसार उक्त अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये जल्द ही सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण करने उपरान्त दिनांक 31.03.2022 तक बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाये। पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2022 को मोबाईल टॉवर शुल्क की बकाया वसूली योग्य राशि का विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	अथशेष	मोबाईल टावर की माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2021–22	5000	5000	10000	0	10000

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.77 लाख की राशि की रॉयल्टी की कटौती न करनाः–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹77,320/– का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 493 दिनांक 04.11.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपीजे–2023/84 दिनांक 16.11.23 द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी नहीं ली जा रही है। अतः भविष्य में ले ली जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹77,320/– के अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	1950	55.22	1.62	89.45	60	5367.00
	बजरी	3505	99.26	1.52	150.87	60	9052.00
	बोल्डर	5455	154.48	2.24	346.03	60	20761.00
						कुल :	**35180.00**
प्रस्तुत **परिशिष्ट–2** अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	2242	63.49	1.62	102.85	80	8228.00
	बजरी	5063	143.38	1.52	217.93	80	17434.00
	बोल्डर	200	5.66	2.24	12.67	80	1014.00
						कुल :	**26676.00**
		कुल योग वर्ष 2021–22 व 2022–23					61856.00
						पैनल्टी 25 %	15464.00
						कुल योगः	**77320.00**

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके रॉयल्टी की नियमानुसार वसूली करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.72 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,71,803/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था तथा समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री के माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 494 दिनांक 04.11.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे.2023/84 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि लोहे के एंगल व शीट के रेट निरन्तर अधिक व कम होते रहते हैं जिस कारण इनकी निविदा कार्य शुरू होने पर ही आमन्त्रित की जाती है। भविष्य में अनुपालना की जायेगी।

अतः कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
129, 29.03.22	बिल नं0 844 दिनांक 10.03.22 मै0 देवांश एल्मूनियम वर्क्स	दरवाजे, खिडकियॉ	16500.00	नि0 सी0एस0सी VKVNY
18, 05.05.22	बिल नं0 1371 दिनांक 01.04.22 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	एन्गल	46136.00	नि0 सी0एस0सी पंचायत घर RGSA
42, 09.06.22	बिल नं0 2328 दिनांक 01.05.22 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	शीटें	48848.00	नि0 सी0एस0सी पंचायत घर RGSA
119, 18.10.22	बिल नं0 2278 दिनांक 1.9.22 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	शीटे	47411.00	नि0 बौडी एस0सी0 बस्ती वार्ड नं0 6 SF
120, 18.10.22	बिल नं0 2284 दिनांक 1.9.22 मै0 पुरी ट्रेडिंग क0	शीटे	12908.00	नि0 बौडी एस0सी0 बस्ती वार्ड नं0 6 SF
		कुलः	**171803.00**	

10. अनुमोदित दर की अपेक्षा अधिक दर पर निर्माण सामग्री के क्रय के फलस्वरूप अधिक भुगतान बारे :–

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में क्रशर रेत हेतु न्यूनतम निविदा के आधार पर मै0 लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्ज की दर **₹48** प्रति फुट से अनुमोदित की गई थी । लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नविवरणानुसार मै0 कुलदीप कुमार को **₹48.50** प्रति फुट की दर से अधिक दर के अनुसार भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना

संख्या 495 दिनांक 04.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे.2023/84 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत को लक्ष्मी ट्रेडर्ज ने लिखित में दिया है कि वह क्रशर रेत ₹48/– की दर से नहीं दे सकता। प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है। अतः भुगतान की गई राशि को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये :–

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि (₹)	अनुमोदित दर अनुसार भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	कार्य का नाम
शून्य 21.05.22	251, 16.11.21	रेत 930 cft दर 48.50 cft	45105.00	रेत 930 cft दर 48 cft= 44640.00	465.00	मनरेगा
शून्य 21.05.22	249, 16.11.21	रेत 150 cft दर 48.50 cft	7275.00	रेत 150 cft दर 48 cft= 7200.00	75.00	मनरेगा
शून्य 21.05.22	251, 01.11.21	रेत 365 cft दर 48.50 cft	17703.00	रेत 365 cft दर 48 cft= 17520.00	183.00	मनरेगा
					723.00	

ANNUAL REPORT

11 प्रियासॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹6.68 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफ्टवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹ 6,67,687.98 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः—

31.03.2023 को प्रिया सॉफ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	45,98,404.98
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	39,30,717.00
अन्तर	₹	6,67,687.98

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 498 दिनांक 04.112023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपीजे.2023/84 दिनांक 16.11.2023 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि यह अन्तर 13वें वितायोग की स्कीम बन्द हो जाने के कारण है क्योंकि उक्त के कुछ वाउचरों का इन्द्राज नहीं हो पाया है जैसे ही स्कीम ओपन हो जायेगी वाउचरों का इन्द्राज कर अन्तर समाप्त कर दिया जायेगा व आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर को ठीक करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

12 विहित रजिस्टरों का रख—रखाव न करना :—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :—

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (ट)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

14 मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण

कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15 **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16 **निष्कर्ष :–**लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

57-61, 02-1-2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)259/2000–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जाँगल, विकास खण्ड लम्बागाँव, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

①

परिषिशट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Jangal" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS, ZP	14940	0	0	14940	7637	7303
2	5 SFC	72092	247044	0	319136	255544	63592
3	VKVNY	172181	493000	0	665181	402477	262704
4	14TH FC	1832834.48	0	42928	1875762.48	1535487	340275.5
5	15TH FC	436951	771969	34788	1243708	0	1243708
6	SBM	8112	0	0	8112	5545	2567
7	SJVN	39668	0	0	39668	0	39668
8	ZP	89200	0	0	89200	0	89200
9	SDP	184703	357000	0	541703	358170	183533
10	VMJS	2887	0	0	2887	13674	-10787
11	MPLAD	17953	0	0	17953	0	17953
12	RGSA	0	200000		200000	22899	177101
13	MNREGA	0	975147.5	0	975147.5	975147.5	0
	Total Rs.	2871521.48	3044160.5	77716	5993397.98	3576580.5	2416817

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Jangal" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS, ZP	7303	0	0	7303	0	7303
2	5 SFC	63592	291800	0	355392	216540	138852
3	VKVNY	262704	835000	0	1097704	805145	292559
4	14TH FC	340275.48	0	2551	342826.48	342274.5	551.98
5	15TH FC	1243708	1303486	29135	2576329	1396021	1180308
6	SBM	2567	0	0	2567	0	2567
7	SJVN	39668	431000	0	470668	308621	162047
8	ZP	89200	0	0	89200	0	89200
9	SDP	183533	253300	0	436833	224118	212715
10	VMJS	-10787	93273	0	82486	82486	0
11	MPLAD	17953	0	0	17953	0	17953
12	RGSA	177101	196000		373101	373101	0
13	MNREGA	0	1637537	0	1637537	1637537	0
	Total Rs.	2416817.48	5041396	31686	7489899.48	5385843.5	2104056

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, Relief,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,IWMP,MPLAD,

A/c No. 20019005170	KCCB Alampur	1658513
A/c No. 50061264563	KCCB Alampur	279470
A/c No. 20019040716	KCCB Alampur	3396
A/c No.50061264686	KCCB Alampur	366551
A/C No. 50061264370	KCCB Alampur	381496
A/C No. 50060064620	KCCB Alampur	31226
A/c No. 50062108885	KCCB Alampur	28937
A/c No 5061264835	KCCB Alampur	485
A/c No 2646000100184802	PNB	66.98
A/c No 50100349359226	HDFC	1180308
cash in hand		268
	Total	3930717

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	1826661
Cash Book Balance on 31.03.2022	7303
Cash Book Balance on 31.03.2022	138852
Cash Book Balance on 31.03.2022	292559
Cash Book Balance on 31.03.2022	551.98
Cash Book Balance on 31.03.2022	1180308
Cash Book Balance on 31.03.2022	2567
Cash Book Balance on 31.03.2022	162047
Cash Book Balance on 31.03.2022	89200
Cash Book Balance on 31.03.2022	212715
Cash Book Balance on 31.03.2022	17953
Total	3930717
diffrence	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत. जंगल...
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(2)

Financial Position of Own sources in r/o GP Jangal

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	701610	49335	45121	796066	69018	727048
2022-23	727048	1203243	71108	2001399	174738	1826661

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जंगल
विकास खण्ड
जिला कांगड़ा

18

पैरा संख्या -2 (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में) ①

2021-22

Gram Panchyat Jangal Dev Block Lambagaon

Sr. No	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No dated	Bill no& Date	Sand (CFT)	Bazri (CFT)	Boulder (CFT)	Amount
1	C/O Tile work in road in muhhal Bir	VKNY	Kuldeep kumar	102 & 03/03/2022	024 & 01/01/2022	40	55	95	2756
2	Com. Ambedkar Bhawan Jangal	VKNY	Kuldeep kumar	103 & 03/03/2022	023 & 01/01/2022	140		140	4123
3	C/O Paccka Rasta Mohinder House to Viney Kumar House	VKNY	Kuldeep kumar	125 & 24/03/2022	025 & 01/01/2022	170	445	615	17773
4	C/O Protection Tile Work R/wall Near temple Bir ward -5	14TH F.C	Vijay Traders	100 & 11/03/2022	283 & 03/01/2022	300		300	14450
5	C/O Paccka Path bad kawal se Nieugal Khad Ki or	14TH F.C	Kuldeep kumar	108 & 22/03/2022	026 & 01/02/2022	290	1040	1330	43983
6	C/O Paccka Path bad kawal se Nieugal Khad Ki or	14TH F.C	Vijay Traders	109 & 22/03/2022	285 & 01/02/2022	250		250	12125
7	C/O Path Mahila Mandal Jangal to state High way	14TH F.C	Kuldeep kumar	110 & 22/03/2022	027 & 01/02/2022	375	1185	1560	45042
8	C/O Path Mahila Mandal Jangal to state High way	14TH F.C	Kuldeep kumar	111& 22/03/2022	028 & 01/02/2022	135	780	915	11283
9	C/O Path Mahila Mandal Jangal to state High way	14TH F.C	Vijay Traders	112 & 22/03/2022	284 & 01/02/2022	250		250	12125
						1950	3505	5455	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत जंगल....
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

19

(2)

2022-23

Gram Panchayat Jangal Dev Block Lambagaon

Sr. No	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No dated	Bill no& Date	Sand (CFT)	Bazri (CFT)	Boulder (CFT)	Amount
1	C/O Nali Man Chand House towards nalla Bir	15th F.C	Kuldeep Kumar	05 & 14/07/2022	035 & 30/05/2022	422	778		42433
2	C/O Retaining Wall Sunita Kumari	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	298 & 01/06/2021	160	310		10554
3	C/O Primary Middle School Jangal Ke Liye Gate or SurKsha Diwar Ka Nirman	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	307 & 01/06/2021	220	730		27464
4	C/O Retaing wall Kalyan Chand in Land	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	299 & 01/06/2021	150	300		10782
5	C/o Retaing wall Kanwar Chand in land ward no-5	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	300 & 01/06/2021	150	300		10782
6	Nirman suraksha Diwar Bhumi Katab Ko rokane Hetu Roshan Lal in land	MGNREGA	Kuldeep Kumar	21/05/2022	015 & 01/11/2021	150	270		12163
7	Com. Road Chanchla House to Main Road	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	301 & 01/06/2021	490	655		31465
8	C/o road Sadak Shiv Mandir Katwall muhalla se Laker Sansar Chand Ke ghar tak	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	311 & 01/06/2021	200	500	200	19665
9	Rakh RKhab Sadak Balakrupi Road Se Jangal Bouri	MGNREGA	Chaudhary Brother,s	21/05/2022	302 & 01/06/2021	300	1220		38805
						2242	5063	200	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत.जंगल...
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (...

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत......
विकास खण्ड लम्बागांव
जिला कांगड़ा (...

20